मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 29 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 10, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

"पुलिस विभाग के होमगार्ड सैनिकों के नियमितीकरण सम्बन्धी" चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य के प्रश्न संख्या 6 (*क्र. 1810) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 86 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 92 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267 क के अधीन विषय

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने प्रदेश में पी.एम.टी. परीक्षा में धांधली होने,
(2) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य ने बालाघाट जिले में विद्युत कटौती की जाने,
(3) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य ने मंडला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर्स खराब होने,
(4) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर शहर में रसोई गैस की किल्लत होने,
(5) श्री अलकेश आर्य, सदस्य ने बैतूल जिले के ग्राम हिवरा में अस्पताल प्रारंभ न होने,
(6) श्री विश्वेश्वर भगत,सदस्य ने बालाघाट जिले के कटंगी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य अपूर्ण होने एवं
(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर नगर हेतु पेयजल शोधन संयंत्र की क्षमता कम होने
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने भिण्ड जिले के अटेर चम्बल घाट पर पेन्टून पुल न बनाये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य ने सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र स्थित कुरी बांध का पुनर्निर्माण न होने एवं घटते जल स्तर की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

सदन में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत की गई :-

(1) श्री अलकेश आर्य (जिला-बैतूल)
(2) डॉ. प्रभुराम चौधरी (जिला-रायसेन)
(3) श्री कमलेश जाटव, एडवोकेट (जिला-मुरैना)

5. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1) तथा 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए क्रमश: लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह-ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2012-13 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि – "लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शनिवार, दिनांक 3 मार्च, 2012 अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच मंगलवार, दिनांक 6 मार्च, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक 6 में होगी।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, बुधवार दिनांक 21 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।"

8. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 29 फरवरी, 2012 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयक, नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सूचना एवं वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	विषय	निर्धारित समय
(1)	मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012)	30 मिनट
(2)	मध्यप्रदेश के अनेक जिलों में ठंड एवं पाले से फसलें बर्बाद होने की ओर सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, यादवेन्द्र सिंह, पारस सकलेचा तथा डॉ. प्रभूराम चौधरी, सदस्यगण की नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सूचना.	1 घण्टा 30 मिनट

(3) वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए आवंटित समय

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या, सेवा या प्रशासन जिससे मांग संबंधित है, का विवरण	निर्धारित समय
1.	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री	1- सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन 2- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 38- आयुष 65- विमानन 71- जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) 73- चिकित्सा शिक्षा 48- नर्मदा घाटी विकास	2 घण्टे

2.	डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, मंत्री	13-	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1 घण्टा 30 मिनट
		54-	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	
3.	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	50-	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	1 घण्टा
4.	श्री अजय विश्नोई, मंत्री	14-	पशुपालन	1 घण्टा
		16-	मछली पालन	
5.	श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन, मंत्री	17-	सहकारिता	1 घण्टा
6.	श्री जयंत मलैया, मंत्री	21-	आवास एवं पर्यावरण	2 घण्टा
		23-	जल संसाधन	
		40-	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	
		45-	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	
		57-	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	
7.	श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री	12-	ऊर्जा	1 घण्टा 30 मिनट
		25-	खनिज साधन	
8.	श्री करण सिंह वर्मा, मंत्री	8-	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1 घण्टा 30 मिनट
		9-	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	
		35-	पुनर्वास	
		58-	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	
9.	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	15-	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2 घण्टे
		30-	ग्रामीण विकास	
		34-	सामाजिक न्याय	
		52-	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		59-	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		62-	पंचायत	
		74-	त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
10.	श्री सरताज सिंह, मंत्री	10-	वन	1 घण्टा
11.	कुं. विजय शाह, मंत्री	33-	आदिम जाति कल्याण	1 घण्टा 30 मिनट
		41-	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	
		49-	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त,घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	
		64-	अनुसूचित जाति उपयोजना	
12.	श्री बाबूलाल गौर, मंत्री	22-	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	1 घण्टा 30 मिनट
		72-	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	
		53-	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		68-	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		75-	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		78-	सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय	

13.	श्री राघवजी, मंत्री	6- वित्त 7- वाणिज्यिक कर 31- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी 60- जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय 61- बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	1 घण्टा (वित्त विभाग छोड़कर)
14.	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार 46- विज्ञान और टेक्नालॉजी 56- ग्रामोद्योग 69- सूचना प्रौद्योगिकी	1 घण्टा
15.	डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्री	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 28- राज्य विधान मण्डल 29- विधि और विधायी कार्य	1 घण्टा 30 मिनट
16.	श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री	5- जेल 36- परिवहन	1 घण्टा
17.	श्री अजय विश्नोई, मंत्री	63- अल्पसंख्यक कल्याण 66- पिछड़ा वर्ग कल्याण 76- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	1 घण्टा 30 मिनट
18.	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मंत्री	26- संस्कृति 32- जनसम्पर्क 44- उच्च शिक्षा 47- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास 51- धार्मिक न्यास और धर्मस्व 70- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1 घण्टा 30 मिनट
19.	श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), मंत्री	24- लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल 42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल 67- लोक निर्माण कार्य-भवन	1 घण्टा 30 मिनट
20.	श्रीमती अर्चना चिटनीस, मंत्री	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1 घण्टा 30 मिनट
21.	श्री जगन्नाथ सिंह, मंत्री	18- श्रम	30 मिनट
22.	श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन, मंत्री	20- लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी	1 घण्टा 30 मिनट
23.	श्री तुकोजीराव पवार, मंत्री	37- पर्यटन 43- खेल और युवक कल्याण	1 घण्टा
24.	श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री	3- पुलिस 4- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2 घण्टे
25.	श्री पारस जैन, राज्यमंत्री	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1 घण्टा
26.	श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री	55- महिला एवं बाल विकास	1 घण्टा

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार दिनांक 14 से 22 मार्च, 2012 तक सभा की निर्धारित बैठकें सायं 6.00 बजे तक होंगी जिनमें भोजनावकाश नहीं होगा .

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयक, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सूचना एवं वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(2) श्री जयसिंह मरावी, राज्यमंत्री, राजस्व ने मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

10. वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री राघवजी, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2012 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक पर प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री कमल पटेल

(अपराह्न 1.01 से 2.36 बजे तक अन्तराल)

(3) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
(4) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा
(5) श्री मदन कुशवाह
(6) श्री के.पी. सिंह
(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(8) श्री बालाराम बच्चन
(9) श्री आत्माराम पटेल
(10) श्री बृजमोहन धूत
(11) श्रीमती साधना स्थापक
(12) श्री पारस सकलेचा
(13) श्री राधेश्याम पाटीदार (जारी)

(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 1 मार्च, 2012 (फाल्गुन 11, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 29 फरवरी, 2012